

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/18)लोसू/आकाशि/2005/ 487-91 दिनांक:- 22-3-19

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (सूचीनुसार)
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 15-2-19 एवं 21-2-19 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) की वार्षिक रिपोर्ट तत्काल भिजवाने हेतु लिखा है। इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्रांक 1471 दिनांक 2-8-18 (प्रति संलग्न) एवं पत्रांक 204 दिनांक 30-1-19 के द्वारा निम्नलिखित प्रारूप-1 व प्रारूप-2 में सूचना भरकर 07 दिवस में श्री दीपक मेहरा, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि निम्नलिखित सूचीनुसार राजकीय महाविद्यालयों की सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है :-

राजकीय महाविद्यालय की सूची

1	कन्या अजमेर	21	बसेड़ी	41	मेड़तासिटी
2	विधि अजमेर	22	सीमलवाड़ा	42	डेगाना
3	मसूदा	23	हनुमानगढ़	43	कन्या पाली
4	राजर्षि अलवर	24	जयपुर	44	मारवाड़ जंक्शन
5	मुण्डावर	25	चिमनपुरा	45	प्रतापगढ़
6	बासकृपालनगर	26	कालाडेश	46	छोटी सादड़ी
7	कुशलगढ़	27	जैसलमेर	47	देवगढ़
8	छबड़ा	28	कन्या पोकरण	48	राजसमन्द
9	अटरू	29	भीनमाल	49	कुम्भलगढ़
10	चौहटन	30	जालौर	50	कन्या सार्दुलशहर
11	कन्या बयाना	31	रानीवाड़ा	51	कन्या श्रीगगानगर
12	कांमा	32	पिडावा	52	कन्या सीकर
13	नगर	33	चौमहला	53	कला सीकर
14	नदबई	34	मलसीसर	54	वाणिज्य सीकर
15	माण्डलगढ़	35	बाप	55	रेवदर
16	बिजौलिया	36	शेरगढ़	56	कन्या टोंक
17	डूंगरगढ़	37	कन्या करौली	57	टोड़ारायसिंह
18	बड़ी सादड़ी	38	रामगंजमंडी	58	कन्या खैरवाड़ा
19	राजगढ़ (चूरु)	39	कनवास	59	कोटड़ा
20	राजाखेड़ा	40	इटावा	60	मावली

अतः आपको निर्देशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर jdadmncce@gmail.com पर भिजवायें, जिसकी एक प्रति डा. दीपक मेहरा, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को भिजवायें, ताकि वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सूचना आयोग को भिजवाई जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दीपाली भागी
सहायक लोक सूचना अधिकारी,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/18)लोसू/आकाशि/2005/ 487-91 दिनांक:- 22-3-19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5 (1)शिक्षा-3/2019 दिनांक 15-2-19 एवं 21-2-19 के संदर्भ में।
- सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने-अपने संभाग की सूचना एकत्रित कर तत्काल jdadmncce@gmail.com पर भिजवायें।
- Officer In Charge आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर- श्रीमती आभा भटनागर, श्रीमती अल्पना व्यास, श्रीमती उर्मिल तलवार, श्री ताराचंद बैरवा, श्री राजेश कुमार वर्मा, डा. अंजू सुथार, डा. बनय सिंह, श्री शैलेन्द्र शर्मा, डा. श्रुति



सूचना
का
अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/17)लोसू/निकाशि/2005/ 1471 दिनांक:- 2-8-18

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 25-6-18 के द्वारा अवगत कराया है कि सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के पत्र दिनांक 16-5-18 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप-1 व प्रारूप-2 में भरकर राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को 07 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर श्री के.के. गुप्ता, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन (समन्वयक) कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,.....

प्रारूप-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन (समयावधि दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) समयावधि वर्ष 2017-18

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रुपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात्			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप-2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण (समयावधि दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) समयावधि सत्र 2017-18

कुल प्राप्त अपीलों (संख्या)	निस्तारित		लम्बित संख्या
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4


(राजेन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127/18)लोसू/निकाशि/2005/ 1471-1473 दिनांक:- 2-8-18

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.